कार्यालय परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक 69 /आर.ए./टीसी/2020 ग्वालियर, दिनांक 03/01/2020

प्रति,

परिवहन आयुक्त,
गुजरात, अहमदाबाद

विषय : गुजरात परिवहन (एसटी) की बंद पडी बस दाहोद–कुंदनपुर एवं दाहोद–खटटाली को पुनः प्रारंभ किये जाने विषयक । (माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र पर कार्यवाही) ।

....

कृपया विषयांतर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा झाबुआ क्षेत्र में प्रवास के दौरान उन्हे वह के निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में गुजरात राज्य परिवहन निगम (एसटी) की बसें दाहोद–कुंदनपुर एवं दाहोद–खटटाली मार्ग पर संचालित होती थी, किन्तु अब एसटी गुजरात द्वारा उक्त बसों का संचालन बंद कर दिया गया है इस कारण वह के निवासियों/ग्रामवासियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड रहा है। वह के निवासियों को बिमारियों के इलाज हेतु व्यवसायिओं को व्यापार–वाणिज्य एवं अन्य रिश्तेदारों से गुजरात के निकटतम शहर दाहोद आना जाना पडता है। यह स्थिति दर्शाते हुये ग्रामवासियों द्वारा उक्त बस सेवा संचालन कराये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश से निवेदन किया गया हैं ।

उक्त मार्ग के लिये अभिलेखानुसार इस प्राधिकार से गुजरात राज्य परिवहन निगम को निम्नानुसार स्थाई प्रतिहस्ताक्षर एवं अस्थाई प्रतिहस्ताक्षर जारी है :–

स.क्र	नाम	मार्ग का नाम	प्रतिहस्ताक्षर का स्वरूप एवं क्र.	वैधता	फेरो की संख्या	वाहन क्र
01	गुजरात राज्य परिवहन निगम गोधरा	अलीराजपुर से दाहोद	70/एसटीए/07 स्थाई प्रतिहस्ताक्षर	31.07.22	चार एकल फेरा प्रतिदिन	जीजे 18 वाई 6790
02	गुजरात राज्य परिवहन निगम गोधरा	दाहोद से झाबुआ	09/एसटीए/76 स्थाई प्रतिहस्ताक्षर	30.09.20	दो एकल फेरा प्रतिदिन	जीजे 18 बी 5174
03	गुजरात राज्य परिवहन निगम गोधरा	दाहोद से अलीराजपुर	23/एसटीए/19 अस्थाई प्रतिहस्ताक्षर	29.02.20	दो एकल फेरा प्रतिदिन	जीजे 18 जे 2279
04	गुजरात राज्य परिवहन निगम गोधरा	दाहोद से अलीराजपुर	24/एसटीए/19 अस्थाई प्रतिहस्ताक्षर	29.02.20	दो एकल फेरा प्रतिदिन	जीजे 18 जे 2778
05	गुजरात राज्य परिवहन निगम गोधरा	दाहोद से झाबुआ	25/एसटीए/19 अस्थाई प्रतिहस्ताक्षर	29.02.20	छः एकल फेरा प्रतिदिन	जीजे 18 बाई 9925

उपरोक्तानुसार स्थानिया निवासियो द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके क्षेत्र में गुजरात परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं हो रहा है। अतः कृपया गुजरात राज्य परिवहन निगम को उक्त मार्गो पर वाहन संचालित कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि वहा के निवासियो को आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके । कृपया की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

03-1-2020
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार
मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 03/01/2020

पृ. क्रमांक 69 /आर.ए./टीसी/2020
प्रतिलिपि

01 अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की ओर मंत्रालयीन पत्र क्रमांक 5075/5117/2019/आठ भोपाल दिनांक 23.12.2019 के क्रम में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

02 कलेक्टर, जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 2019/परिवहन/11287 झाबुआ दिनांक 17.12.2019 के क्रम कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

3-1-2020
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार
मध्यप्रदेश